उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

का

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक

आय–व्ययक

(परफार्मेन्स बजट)

वर्ष

2015–2016

संक्षिप्त प्राक्कथन

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों एवं पुलों का निर्माण, पुनःनिर्माण, सुधार एवं सुदृढ़ीकरण तथा रखरखाव का कार्य सम्पादित कराया जाता है, जो कि प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके साथ–साथ राज्य सरकार के अनेक विभागों के अन्तर्गत भवनों का निर्माण तथा उनका अनुरक्षण इस विभाग द्वारा किया जाता है।

इस पुस्तिका में लोक निर्माण विभाग का वर्ष 2015–16 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य के वित्तीय बजट 2015–16 के अनुदान सं0 54, 55, 56, 57, 58 तथा 83 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लिये प्रस्तावित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार इस कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में विभाग की स्थिति दर्शाई गई है।

प्रस्तुत कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्य मों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण तथा उनके पर होने वाले व्यय के वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों को यथा सम्भव संकलित करने का प्रयास किया गया है ताकि प्राविधानित धनराशि के व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके तथा व्यय का उपलब्धियों के साथ समन्वय स्थापित किया जा सके।

प्रमुख सचिव
लोक निर्माण विभाग
लखनऊ।

भूमिका

यह प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का सर्वाधिक बड़ा राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक गांव तथा आबादी का मुख्य मार्गो से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गो, राज्य मार्गो तथा जिला मार्गो का चौड़ीकरण तथा उनका उचित गुणवत्ता से सुधार कराया जाना आवागमन के दृष्टिकोण से विशेष महत्व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गो का निर्माण तथा सुधार, अन्य जिला मार्ग, मुख्य जिला मार्ग तथा राज्य मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुधार, ग्रामीण अंचलों में पुलों का निर्माण तथा मुख्य मार्गो पर संकरे तथा जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गो के निर्माण तथा पूर्व निर्मित ग्रामीण एवं अन्य जिला मार्गो के सुदृढ़ीकरण का कार्य वृहद पैमाने पर सम्पादित कराये जा रहे हैं।

विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में अधीक्षण अभियन्ताओं तथा मण्डलों में मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हैं। इनके द्वारा कार्यो के नियोजन, सम्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए कार्यो पर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाता है। इसके लिए विभाग में क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय तथा प्रभारी मुख्य अभियन्ताओं का पद निम्नवत् सृजित है:–

क0सं0	क्षेत्र का नाम	क्षेत्रीय कार्यालय का मुख्यालय	क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डल
1.	पश्चिमी	मेरठ	मेरठ, सहारनपुर
2.	उत्तर पश्चिमी	बरेली	बरेली
3.	आगरा	आगरा	आगरा, अलीगढ़
4.	मध्य	लखन	लखन
5.	दक्षिण मध्य	कानपुर	कानपुर
6.	फैजाबाद	फैजाबाद	फैजाबाद, देवीपाटन
7.	झांसी	झांसी	झांसी, चित्रकूट धाम
8.	पूर्वी	वाराणसी	वाराणसी, विन्ध्यांचल
9.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर, बस्ती
10.	आजमगढ़	आजमगढ़	आजमगढ़
11.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद
12.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	इलाहाबाद
13.	राष्ट्रीय मार्ग	लखन	समस्त मण्डल
14.	विश्व बैंक	लखन	समस्त मण्डल
15.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	लखन इलाहाबाद मेरठ	समस्त मण्डल
16.	सेतु	लखन	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सेतु के निर्माण हेतु
17.	इण्डो–नेपाल बार्डर	लखन	बरेली, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती एवं गोरखपुर
18.	भवन	लखन	समस्त मण्डल

लो0नि0वि0 के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण

प्रदेश में सेतु के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी0पी0पी0 पद्धति पर मार्गों के सुधार एवं अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्राधिकरण की स्थापना की गई है:–

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम :–

प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 60 मीटर से अधिक दर‸ स्पानत्र के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में 76 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम :–

भवन कार्यो में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिये 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य ़ 4200.00 करोड़ है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरणः–

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में प्रदेश के राज्य मार्गो के निजी सहयोग से विकास के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी सहभागिता के आधार पर बी0ओ0टी0/पी0पी0पी0 पद्वति पर मार्गो एवं सेतुओं का विकास करना है। वर्तमान में 03 राज्य राजमार्गों पर निजी विकासकर्ताओं के साथ अनुबन्ध गठित कर कार्य कराया जा रहा है तथा 01 राज्य राजमार्ग की आर0एफ0पी0 दिनांक 15.01.2015 को आमंत्रित की गयी है। इसके अतिरिक्त 14 महत्वपूर्ण राज्य राजमार्गों /प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के सार्वजनिक–निजी–सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण हेतु फीजिबिलिटी अध्ययन कराये जाने के लिए परामर्शी चयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रशासन

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश में सड़कों, भवनों एवं पुलों का निर्माण, पुनःनिर्माण, सुधार एवं सुदृढ़ीकरण तथा रखरखाव का कार्य सम्पादित कराया जाता है। लोक निर्माण विभाग के कार्यकलापों के संचालन हेतु प्रदेश स्तर पर प्रमुख अभियन्ता ‸विकासत्र एवं विभागाध्यक्ष का कार्यालय स्थापित है, जिसके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार पद स्थापित है :–

1. **प्रमुख अभियन्ता** : प्रमुख अभियन्ता ‸विकास एवं विभागाध्यक्षत्र/‸ परिकल्प एवं नियोजनत्र/‸ ग्रामीण सड़कत्र
2. **मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)** : मुख्य अभियन्ता स्तर–1 के तीन पद
3. **मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)** : मुख्य अभियन्ता स्तर–2‸ राष्ट्रीय मार्गत्र/ सेतु/‸ मु0–1त्र/‸ मु0–2त्र/ इण्डो– नेपाल बार्डर/‸ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनात्र/‸ 12 क्षेत्रीय मुख्य अभियन्तात्र/‸ परिवादत्र/‸ विद्युत/यांत्रिकत्र एवं मुख्य अभियन्ता स्तर–2 के समकक्ष मुख्य वास्तुविद।

विभाग की इकाई खण्ड है। प्रत्येक जिले में सामान्यतः 1 से 4 तक खण्ड स्थापित है। खण्डों की संख्या, कार्यो की प्रकृति एवं परिमाण पर निर्भर होती है। लो0नि0वि0 संगठन की संरचना परिशिष्ट–अ,ब,स व द में दर्शायी गयी है।

गत तीन वर्षो में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत खण्डों एवं वृत्तों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

खण्डों एवं वृत्तों के प्रकार	2012–13		2013–14		2014–15	
	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त	खण्ड	वृत्त
अधिशासी						
मैदानी क्षेत्र के मार्ग तथा भवन/अनुरक्षण	168	33	168	32	173	35
राष्ट्रीय मार्ग	19	3	19	4	17	4
विश्व बैंक/विद्युत/यॉत्रिक/पी0एम0जी0एस0वाई0 /इण्डो–नेपाल बार्डर	102	17	102	17	81	22
योगः–	**289**	**53**	**289**	**53**	**271**	**61**
अनाधिशासी						
सर्वेक्षण, नियोजन, परियोजना, सेत यातायात, राष्टीय मार्ग	19	05	19	05	21	04
अन्वेषण, विश्व बैंक कार्य, तकनीकी प्रकोष्ठ, आई0डी0एस0, समग्र, कम्प्यूटर, वि0/यॉ0, पी0एम0जी0एस0वाई0, वाद	02	02	02	02	21	6

	योग :–	**21**	**7**	**21**	**7**	**42**	**10**

3. विभागीय पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

	पद	**स्थायी**	**अस्थायी**	**योग**
1	प्रमुख अभियन्ता	1	2	3
2	मुख्य अभियन्ता स्तर–1	.	3	3
3	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 सिविल>	7	22	29
4	मुख्य अभियन्ता स्तर–2 वि0 / यां0>	.	3	3
5	मुख्य वास्तुविद	.	1	1
6	अधीक्षण अभियन्ता सिविल>	36	49	85
7	अधीक्षण अभियन्ता वि0 / यां0>	4	2	6
8	वरिष्ठ वास्तुविद	2	—	2
9	अधिशासी अभियन्ता सिविल>	148	218	366
10	अधिशासी अभियन्ता वि0 / यां0>	21	7	28
11	वास्तुविद	9	—	9
12	सहायक वास्तुविद	17	—	17
13	निदेशक शोध	1	—	1
14	उप निदेशक	1	2	3
15	सहायक शोध अधिकारी	7	1	8
16	सहायक भूगर्भ वेत्ता	—	1	1
17	सहायक अभियन्ता सिविल>	942	283	1225
18	सहायक अभियन्ता वि0 / यां0>	130	29	159
19	अवर अभियन्ता, सिविल>	3065	1111	4176
20	अवर अभियन्ता, विद्युत>	236	86	322
21	अवर अभियन्ता, यांत्रिक>	318	67	385
22	अवर अभियन्ता, प्राविधिक>	276	191	467
23	मानचित्रकार	193	—	193
24	रेखाकार	189	19	208
25	वास्तुविद मानचित्रकार	6	64	70
26	वास्तुविद सहायक	15	6	21
27	कनिष्ठ रसायनज्ञ	12	12	24
28	अन्य अराजपत्रित कर्मचारी	23512	16723	40235
	योग	**29148**	**18902**	**48050**

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्व है। मार्गो का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में दिनांक 31.3.14 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गो की कुल लम्बाई 203458.606 कि0मी0 है। लो0नि0वि0 के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियों के मार्गो की लम्बाई का विवरण निम्नवत् हैः–

कम सं0	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2011 तक	31.3.2012 तक	31.3.2013 तक	31.3.2014 तक
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय मार्ग	6684.900	6684.900	7550.000	7550.000*
2	राज्य मार्ग	7957.083	7957.083	7703.387	7486.325
3	प्रमुख जिला मार्ग	7548.633	7548.633	7548.761	7358.139
4	अन्य जिला मार्ग	33915.00	37373.000	39244.813	41933.955
5	ग्रामीण मार्ग	127668.793	134539.386	139046.962	139130.187
	योगः–	183774.409	194103.002	201093.923	203458.606

टिप्पणीः–

' इसमें 3962.00 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में अप्रत्याशित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को प्रगति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए नई मार्ग विकास नीति प्रस्तावित है, जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को भी अपनाया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :–

- महत्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज्य मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे क्वैरी अथवा बार्डर रोडस् हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण के विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।
- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीकी का अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारू वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिये प्रदेश में पूर्व निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का रख–रखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गो का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है। ग्रामीण सम्पर्क मार्गो के समुचित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रदेश में शासनादेश दि0 22 नवम्बर, 2013 द्वारा लागू की गयी है। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैंः–

- निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गो पर सतह नवीनीकरण कार्य सामान्यतः 08 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- समस्त विभागों द्वारा सम्पर्क मार्गो की इनवेन्टी कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय–समय पर अपडेट किया जायेगा।
- सम्पर्क मार्गो के अनुरक्षण हेतु मार्गो का चयन रोड कन्डीशन इन्डेक्स, स्थानीय आवश्कताओं एवं जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किया जायेगा।
- विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित चक्रानुक्रम के अनुसार नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना माह मार्च तक अन्तिम करली जायेगी। अब ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण सामान्यतः प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा किया जायेगा।
- विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह मार्च तथा माह अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।
- स्वीकृत कार्यो पर पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जायेगी जिससे टाईम ओवररन तथा कस्ट ओवररन न हो।
- प्रत्येक विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गो को क्लब करते हुये आवश्कतानुसार बैच मेन्टीनेन्स कान्टैक्ट जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।
- नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यो पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह एवं शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

मार्ग कार्यः–

1. ग्रामीण मार्ग/लघु सेतु के निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना :–

वर्ष 1996–97 में प्रारम्भ की गई इस योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु इस योजनान्तर्गत कार्य स्वीकृत किये जाते है। इस योजनान्तर्गत आर0आई0डी0एफ0–2 से 7 तक स्वीकृत कार्यो पर नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है। आर0आई0डी0एफ0–8 व 9 योजनान्तर्गत कोई भी मार्ग स्वीकृत नही किया है। वर्ष 2005–06 में आर0आई0डी0एफ0–10, 11 व वर्ष 2007–08 में आर0आई0डी0एफ0–12, वर्ष 2008–09 में आर0आई0डी0एफ0–14, वर्ष 2009–10 में आर0आई0डी0एफ0–15, वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 में आर0आई0डी0एफ0–16, वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में आर0आई0डी0एफ0–17, वर्ष 2012–13 में आर0आई0डी0एफ0–18 व वर्ष 2013–14 में आर0आई0डी0एफ0–19 योजनान्तर्गत मार्ग कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें नाबार्ड द्वारा स्वीकृत लागत का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाना है। आर0आई0डी0एफ0–2 से आर0आई0डी0एफ0–15 तक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में आर0आई0डी0एफ0–16 से 19 योजनान्तर्गत कार्य प्रगति में हैं। आर0आई0डी0एफ0–16 से 19 योजनान्तर्गत निरस्तीकरण के उपरान्त कुल 2426 कार्य निर्माणाधीन हैं, जिनकी वास्तविक लागत ₹ 1407.98 करोड़ लागत के स्वीकृत है। माह दिसम्बर, 2014 तक ₹ 1249.45 करोड़ व्यय कर 2015 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्ष 2014–15 के आय–व्ययक में आर0आई0डी0एफ0 योजना में चालू कार्यो हेतु ₹ 300 करोड़ एवं ग्रामीण मार्गो के नये कार्यो हेतु ₹ 1 हजार की प्रतीकात्मक बजट व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु ₹ 3.00 करोड़ एवं नये कार्यो हेतु ₹ 83.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 386.0001 करोड़ बजट व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में आर0आई0डी0एफ0–20 योजनान्तर्गत 120 प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव जिनकी लागत ₹ 485.88 करोड़ के चौड़ीकरण /सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये जा चुके है।

वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में आर0आई0डी0एफ0 योजना में चालू ग्रामीण मार्ग कार्यो हेतु ₹ 20.00 करोड़ एवं नये ग्रामीण मार्ग कार्यो हेतु ₹ एक हजार की प्रतीकात्मक व्यवस्था तथा प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यो हेतु ₹ 350.00 करोड़ व नये कार्यो हेतु ₹ 20.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। इस धनराशि से लगभग 50 कि0मी0 ग्रामीण मार्गो के नव निर्माण तथा लगभग 500 कि0मी0 लम्बाई में प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के सुदृढ़ीकरण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

2. जिला मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने की योजनाः–

राज्य सरकार प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश को सुगम यातायात उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन चौड़े मार्ग से जोड़ना वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के 30 जिला मुख्यालय् लखन , रामपुर, औरैया, कानपुर, मुरादाबाद, इटावा, बाराबंकी, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, फैजाबाद, गाजियाबाद, आगरा, बस्ती, उन्नाव, मथुरा, संतकबीरनगर, झांसी, हापुड़, गोरखपुर, उरई, मुजफ्फरनगर, सीतापुर, चन्दौली, मेरठ, शाहजहॉपुर, वाराणसी, बरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद एवं ललितपुर> 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से पूर्व से ही जुड़े हुए हैं तथा 10 जिला मुख्यालय^ गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, रायबरेली, सुल्तानुपर, अम्बेडकरनगर, जौनपुर, आजमगढ़, म एवं गाजीपुर> भारत सरकार की स्वीकृत योजना ^ एनएचडीपी> के अन्तर्गत प्रस्तावित 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्गो से जुड़ जायेंगे तथा 9 जिला मुख्यालय^ कन्नौज, एटा, प्रतापगढ़, बांदा, अमेठी, हमीरपुर, हाथरस, मिर्जापुर एवं पीलीभीत> 2–लेन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं जो 2–लेन विद पेव्ड शोल्डर किए जाने हेतु भारत सरकार की स्वीकृत योजन्ा एनएचडीपी> एवं 02 जिला मुख्यालय^ बहराइच एवं सिद्धार्थनगर> एन0एच0 के अन्तर्गत ई0पी0सी0 मोड पर प्रस्तावित 2 लेन^ विद पेव्ड शोल्डर> राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जायेंगे। शेष 24 जनपदों की स्थिति निम्नवत है :–

10 जिला मुख्यालयों ^ सहारनपुर, बागपत, शामली, सोनभद्र, बलरामपुर, गोण्डा, हरदोई, महराजगंज, लखीमपुर खीरी एवं बिजनौर> को 4 लेन मार्ग से जोड़े जाने का कार्य उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण ^ उपशा> के अन्तर्गत प्रस्तावित/ निर्माणाधीन हैं।

लो0नि0वि0 बजट द्वारा 03 जिला मुख्यालय^ चित्रकूट, महोबा एवं कुशीनगर> जो राष्ट्रीय राज मार्ग पर स्थित हैं उन्हे लो0नि0वि0 बजट से एन0एच0 द्वारा 2 लेन मार्ग^ विद पेव्ड शोल्डर> से जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 11 जिला मुख्यालयों^ मैनपुरी, अमरोहा, सम्भल, श्रावस्ती, कौशाम्बी, बंदायूँ, फर्रूखाबाद, बलिया, कासगंज, देवरिया, एवं संतरविदासनगर> को 4 लेन मार्ग से इस प्रकार कुल 14 जिला मुख्यालयों को जोड़ने का कार्य लो0नि0वि0 के अन्तर्गत प्रस्तावित/निर्माणाधीन है।

उपरोक्त के साथ–साथ कालपी से हमीरपुर मार्ग को 04 लेन मार्ग से अतिरिक्त जोड़ने के लिये लो0नि0वि0 द्वारा अपनी योजना में सम्मिलित किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत अभी तक जनपद इटावा से मैनपुरी को जोड़ने हेतु दो कार्यो की स्वीकृति कुल लागत ृ 598.63 करोड़ जोया अमरोहा मार्ग की स्वीकृति कुल लागत ृ 23.21 करोड़, मुरादाबाद सम्भल मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 136.33 करोड़, बहराईच भिन्गा मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 164. 36 करोड़, मूरतगंज से मंझनपुर मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 74.72 करोड़, हमीरपुर कालपी मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 289.47 करोड़, बरेली बंदायू मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 244. 34 करोड़, छिबराम से फतेहगढ़ मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 81.82 करोड़, कुशीनगर – पडरौना मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 29.10 करोड़ एवं म –बलिया मार्ग की स्वीकृति की कुल लागत ृ 197.55 करोड़ निर्गत की गई है।

वर्ष 2014–15 में इस योजनान्तर्गत अनुपूरक/पुर्नविनियोग के उपरान्त चालू कार्यों हेतु ृ 691.50 करोड़ तथा नये कार्यों हेतु ृ 115.50 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वर्ष 2015–16 में इस योजना के चालू कार्यो हेतु ृ 900.00 करोड़ तथा नये कार्यों हेतु ृ 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।

3. तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरणः–

यह योजना वर्ष 2010–11 से प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में इस योजनान्तर्गत 3 मार्गों को दो लेन तक चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति में है। वर्ष 2014–15 में इस योजना के अन्तर्गत ृ 20.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वर्ष 2015–16 में ृ एक हजार की प्रतीकात्मक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

4. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गो से जोड़नें के सम्बन्ध में :–

(क) प्रदेश सरकार की सम्पर्क मार्गों से असंतृप्त 250 से अधिक आबादी की समस्त बसावटों को पक्के मार्गों से जोड़ने की प्राथमिकता है। वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 से 499 आबादी के 17835 बसावटें अभी सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़ी है। 500 से अधिक आबादी की बसावटों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क येाजना के अन्तर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित है। 500 से अधिक आबादी की ऐसी अनजुड़ी बसावटें जो पी0एम0जी0एस0वाई0 मानकों से आच्छादित नहीं है कि कुल सं0–6221 है। इनको भी प्रदेश के संसाधनों से सम्पर्क मार्गो से संतृप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्ग से वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में जोड़ने के सम्बन्ध में विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः–

वर्ष 2014–15

क0 सं0	योजना का नाम	आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ृ करोड़ में	निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गो की लम्बाई (कि0मी0 में)	सम्पर्क मार्गो से जुड़ने वाले ग्रामों/बसावटों की सं0
1	2	3	4	5
1	जिला योजना ^ सामान्य>	275.00	550.00	500
2	आर0आई0डी0एफ0	300.00	600.00	400
3	नक्सल प्रभावित क्षेत्र	40.00	80.00	100
4	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान^ समग्र ग्राम>	128.00	250.00	250

5	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान् अन्य>	110.00	220.00	200
6	समग्र ग्राम योजना् नान एस.सी.पी.>	700.00	1200.00	1000
7	श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना	200.00	200.00	200
8	व्यापार विकास निधि	190.00	350.00	250
	योग	**1943.00**	**3450.00**	**2900**

वर्ष 2015–16

क्र0 सं0	योजना का नाम	आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹ करोड़ में	निर्मित किये जाने वाले सम्पर्क मार्गो की लम्बाई (कि0मी0 में)	सम्पर्क मार्गो से जुड़ने वाले ग्रामों/बसावटों की सं0
1	2	3	4	5
1	जिला योजना सामान्य>	180.50	360.00	1700
2	आर0आई0डी0एफ0	20.00	40.00	
3	नक्सल प्रभावित क्षेत्र	10.00	20.00	
4	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान् समग्र ग्राम>	100.00	200.00	
5	स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान् अन्य>	30.00	60.00	
6	समग्र ग्राम योजना नान एस.सी.पी.>	300.00	600.00	
7	श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना	155.00	300.00	
8	व्यापार विकास निधि	50.00	100.00	
9	अनजुड़ी बसावटों	10.00	20.00	
	योग	**855.50**	**1700.00**	**1700**

5. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ध्वस्त एवं क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के पुर्ननिर्माण के सम्बन्ध में :–

ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण पर पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पाती है। वर्ष 2012–13, वर्ष 2013–14 एवं वर्ष 2014–15 में चयनित 5799 समग्र ग्राम के मुख्य राजस्व ग्राम तथा 1000 से अधिक आबादी के ऐसें ग्रामों/बसावटों जो पूर्व में सम्पर्क मार्गो से जुडे हुए है तथा अत्याधिक क्षतिग्रस्त एवं ध्वस्त है उनके पुर्ननिर्माण हेतु कोई योजना नहीं है। अतः वर्ष 2014–15 में समग्र ग्रामों एवं 1000 से अधिक आबादी के ध्वस्त सम्पर्क मार्गों के पुर्ननिर्माण की नई योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसके लिए वर्ष 2014–15 में ₹ 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त क्षतिग्रस्त ग्रामीण मार्गों के पुर्ननिर्माण हेतु जिला येाजना के अन्तर्गत ₹ 22.00 करोड़ तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ₹ 61.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी थी। जिससे 110 कि0मी0 मार्गों का पुनर्निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015–16 में समग्र ग्राम एवं 1000 से अधिक आबादी के ध्वस्त सम्पर्क मार्गों के पुर्ननिर्माण हेतु ₹ 50.00 करोड़, जिला योजना के अन्तर्गत ₹ 35.00 करोड़ तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ₹ 20.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

6. विगत पॉच वर्षो में आयोजनागत व आयोजनेत्तर मदों में उपलब्ध धनराशि एवं किये गये व्यय के सम्बन्ध में टिप्पणी

विगत पॉच वर्षो में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि एवं किये गये व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया हैः–

क0सं0	वर्ष	मार्ग एवं सेतु कार्यो के निर्माण पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)
1	2010.11	**6943.7900**	**6423.6300**
2	2011.12	**7722.8000**	**6383.2000**
3	2012.13	**7355.8663**	**7269.5634**
4	2013.14	**9553.1635**	**9447.5318**
5	2014.15	**12902.4623**	**6315.7084** (दिसम्बर, 2014)
6	2015.16(प्रस्तावित)	**12136.7816**	

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में मात्र ₹ 6943.79 करोड़ का बजट प्राविधान था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2015–16 में ₹ 12136ण्7816 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिये मार्गो एवं सेतुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उक्त आकड़ों से स्पष्ट है कि मार्गो/सेतुओं के निर्माण तथा इनके उचित रख–रखाव एवं सुधार के लिये विगत वर्षो की तुलना में काफी अधिक धनराशि उपलब्ध कराते हुयें मार्ग/सेतुओं के निर्माण कार्यो को गति प्रदान की गई है।

7. डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना

शासनादेश सं0– 447/66–2012–05/2012 दिनांक 17.05.2012 द्वारा राजस्व ग्रामों के चहुमुखी विकास हेतु प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012–13 में 1598 तथा उसके पश्चात अनुवर्ती 04 वर्षों में 2100 ग्राम प्रतिवर्ष अर्थात कुल 9998 राजस्व ग्रामों का चयन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य उन राजस्व ग्रामों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है, जो विकास के आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, पेयजल इत्यादि से वंचित हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में चालू कार्यों हेतु ₹ 528.00 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु ₹ 300.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 828.00 करोड़ बजट प्राविधान है। वर्ष 2014–15 में माह जनवरी, 2015 तक इस योजनान्तर्गत 885 कार्यों, जिनकी लम्बाई 898.235 कि0मी0 एवं लागत ₹ 399.07 करोड़ (मनरेगा अंश की लागत को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू कार्यों हेतु ₹ 200.00 करोड़ तथा नये कार्यों हेतु ₹ 200.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 400.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) का बजट प्रस्तावित है।

8. श्री राम शरण दास ग्राम सड़क योजना

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 अथवा उससे अधिक आबादी की 2663 अनजुड़ी बसावटों में से (जो पी0एम0जी0एस0वा0ई0 से आच्छादित नहीं है) उनको पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु वर्ष 2014–15 में नई योजना प्रारम्भ की गयी है।

इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में नये कार्यों हेतु अनुपूरक सहित ₹ 200.00 करोड़ का बजट प्राविधान है। वर्ष 2014–15 में माह जनवरी, 2015 तक इस योजनान्तर्गत 846 कार्यों, जिनकी लम्बाई 847.871 कि0मी0 एवं लागत ₹ 359.8323 करोड़ (मनरेगा अंश की लागत को छोड़कर) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में चालू कार्यों हेतु ₹ 150.00 करोड़ तथा नये कार्यों हेतु ₹ 5.00 करोड़ इस प्रकार कुल ₹ 155.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) का बजट प्रस्तावित है।

9. केन्द्रीय सड़क निधि एवं इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी योजना

भारत सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल व डीजल पर सेस के माध्यम से प्राप्त होने वाली धनराशि से पोषित केन्द्रीय मार्ग निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मार्गो के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य मार्गो/प्रमुख जिला मार्गो/अन्य जिला मार्गो का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं इन कार्यो पर पड़ने वाले सेतुओं/उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का

कार्य कराया जा रहा है। विगत पांच वर्षो में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में स्वीकृत कार्यो एवं केन्द्र सरकार से इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि व व्यय का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(धनराशि `लाख में)

क0 सं0	वर्ष	वर्ष में स्वीकृत कार्यो की सं0	वर्ष में स्वीकृत कार्यो की लागत	वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि	वर्ष में किया गया कुल व्यय
1	2	3	4	5	6
1	2009.10	19	**46411.30**	**16722.00**	**29557.03**
2	2010.11	26	**49705.89**	**19435.00**	**38528.00**
3	2011.12	16	**17317.89**	**21025.00**	**23120.73**
4	2012.13	0	**0.00**	**22210.00**	**23443.91**
5	2013.14	0	**0.00**	**19643.30**	**23620.00**
6	**2014-15(12/2014 तक)**	0	**0.00**	**24626.00**	**5054.92**

केन्द्रीय मार्ग निधि एवं इण्टर स्टेट कनेक्टिविटी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में इस योजना के अधिनीत कार्यो हेतु ₹ एक–एक हजार एवं नये कार्यों हेतु ₹ एक–एक हजार की प्रतीकात्मक बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

10. तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत इण्डो–नेपाल बार्डर, पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क संयोजकता में सुधारः–

तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के परिपेक्ष्य में पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास हेतु सम्पादित कराये जाने वाले कार्यो के अतिरिक्त इन्डो–नेपाल बार्डर से लगे 7 जनपदों (पीलीभीत, खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराईच, सिद्धार्थनगर व महाराजगंज) के तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों के लगभग 152 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण व सुधार हेतु वर्ष 2011–12 से 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष ₹ 62.50 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु ₹ 62.50 करोड़ का बजट प्राविधान था, जिसके सापेक्ष ₹ 2.5463 करोड़ की धनराशि समर्पित की गयी थी। वर्ष 2014–15 में वर्ष 2011–12 की समर्पित धनराशि को सम्मिलित करते हुए ₹ 135.00 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था है।

पूर्वान्चल क्षेत्र के 9 जनपदों (चन्दौली, म , फतेहपुर, सन्तरविदासनगर, आजमगढ़, गोण्डा, गोरखपुर, गाजीपुर व सन्तकबीरनगर) के त्वरित विकास हेतु तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों के लगभग 117 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण व सुधार हेतु वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष ₹ 37.50 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होनी है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना में ₹ 75.00 करोड़ का बजट प्राविधान था। वर्ष 2014–15 में जनपद सन्तकबीर नगर के 01 नये कार्य, लागत ₹ 18.0844 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तद्नुसार इस योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 37.50 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 5 जनपदों (महोबा, हमीरपुर, झॉसी, ललितपुर व जालौन) के त्वरित विकास हेतु तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले सम्पर्क मार्गों के लगभग 108 कि0मी0 लम्बाई में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण व सुधार हेतु वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 तक प्रत्येक वर्ष ₹ 37.50 करोड़ की धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जानी प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में इस योजना हेतु ₹ 75.00 करोड़ का बजट प्राविधान था। इस योजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2014–15 में ₹ 37.50 करोड़ की धनराशि की बजट व्यवस्था की गयी है।

यह योजना वर्ष 2014–15 में समाप्त हो रही है।

11. उत्तर प्रदेश में इण्डो–नेपाल सीमा पर मार्ग का निर्माणः–

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामरिक महत्व की भारत–नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्वार्थनगर एवं महाराजगंज के कुल लम्बाई 640.00 कि0मी0 लागत ₹ 1621.00 करोड़ के कार्य वर्ष 2010–11 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त एस0एस0बी0 के साथ संयुक्त निरीक्षण कर मार्ग का संरेखण निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार परियोजना की कुल लम्बाई 574.57 कि0मी0 एवं आकंलित

लागत ₹ 3110.00 करोड़ है। तदानुसार 28 डी0पी0आर0 गठित कर भारत सरकार, नयी दिल्ली को प्रेषित की गयी है। परियोजना के अन्तर्गत 257.01 कि0मी0 तथा लागत ₹ 735.83 करोड़ की कुल 12 डी0पी0आर0 पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है। अवशेष 16 डी0पी0आर0 की स्वीकृत हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नयी दिल्ली की एच0एल0ई0सी0 की बैठक मार्च, 2014 में सम्पन्न हुयी जिसमें निर्णय लिया गया है कि इन कार्यो के संरेखण पर पड़ने वाले वन/वन्य जीव क्लीरेन्स के प्रस्ताव तैयार कर एवं अनापत्ति प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। तदानुसार वन/वन्य जीव क्षेत्र में संरेखण निर्धारण एवं पेड़ो की गिनती व सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। प्रस्ताव पर अनापत्ति प्राप्त होने के पश्चात भारत सरकार से अवशेष डी0पी0आर0 पर वर्ष 2015–16 में स्वीकृत प्राप्त होना सम्भावित है।

भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा स्वीकृत 257.01 कि0मी0 लम्बाई के 12 डी0पी0आर0 के अन्तर्गत 219 कि0मी0 लम्बाई के 11 कार्यो के अनुबंध गठित हो चुके हैं, जिनमें कार्य प्रगति में है तथा 01 कार्य की निविदा दि0 26.02.2015 को प्राप्त की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में परियोजना के 11 चालू निर्माण कार्यो पर ₹ 70.00 करोड़ एवं 01 नये निर्माण कार्य पर ₹ 6.00 करोड़ व्यय किये जाने का लक्ष्य है। जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2014 तक ₹ 32.68 करोड़ की धनराशि का व्यय कर लिया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत भूमि अध्याप्ति के कार्यो हेतु जनपदवार ₹ 173.00 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गयी है। भूमि अध्याप्ति कार्यो पर ₹ 156.52 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) का बजट प्राविधान स्वीकृत है। जिसके सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 64.53 करोड़ व्यय किये जाने का लक्ष्य है। दिसम्बर, 2014 तक भूमि अध्याप्ति कार्यो पर ₹ 29.15 करोड़ का व्यय कर लिया गया है। नये भूमि अधिग्रहण एक्ट लागू होने के कारण भूमि अध्याप्ति की अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो सकी।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में परियोजना के स्वीकृत चालू कार्यो के निर्माण कार्य हेतु ₹ 200.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) की धनराशि का प्राविधान प्रस्तावित है एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त होने वाली स्वीकृतियों हेतु (नये कार्य हेतु) ₹ 50.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) एवं परियोजना की भूमि अध्याप्ति के चालू कार्यो हेतु ₹ 100.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) की धनराशि एवं वर्ष 2015–16 में स्वीकृत होने वाले भूमि अध्याप्ति/वन पूर्वानुमति कार्यो के नये कार्यो हेतु ₹ 20.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

12. चयनित 04 जनपदों में अन्य जिला मार्गों एवं उच्च श्रेणी के मार्गों का सुदृढ़ीकरण (परफार्मेन्स आधारित पॉच वर्ष के अनुरक्षण सहित) के कार्य हेतु एक मुश्त व्यवस्था :–

वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रदेश में एक नई योजना के अन्तर्गत 04 चयनित जनपदों (महोबा, सहारनपुर, मिर्जापुर व फतेहपुर) के अन्य जिला मार्ग श्रेणी एवं इससे उच्च श्रेणी के मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं तदोपरान्त उनके परफार्मेन्स आधारित पॉच वर्ष के अनुरक्षण कराने हेतु ₹ 300.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। जिसमें ठेकेदार द्वारा परफार्मेन्स आधारित पॉच वर्ष के अनुरक्षण भी किया जाना है। प्रत्येक जनपद से लगभग ₹ 500.00 करोड़ लागत के कार्य किये जाने अनुमानित है। वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में कार्य को प्रारम्भ करने हेतु नया मद सृजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए ₹ 100.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

13. प्रदेश में चिन्हित कोर रोड नेटवर्क से आच्छादित मार्गों का सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु एक मुश्त व्यवस्था :–

प्रदेश में लो0नि0वि0 के स्वामित्व वाले कोर रोड नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु लगभग ₹ 8135 करोड़ की आवश्यकता है। प्रदेश में महत्वपूर्ण मार्गो का एक कोर रोड नेटवर्क चिन्हित किया गया है। जिस पर विशेष ध्यान देते हुए सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकतानुसार चौड़ीकरण किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में कार्य को प्रारम्भ करने हेतु नया मद सृजित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रथम चरण में ₹ 350.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

14.प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण/पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु संक्षिप्त टिप्पणीः–

पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण/पुनर्निर्माण के कार्यों हेतु टूरिज्म रोड फन्ड्स की स्थापना हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस धनराशि से पर्यटन विभाग द्वारा चिन्हित मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण/पुनर्निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है इस हेतु वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में इस हेतु ₹ 25.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

15. अनुसूचित जाति सब प्लान/ट्राईबल सब प्लान–अनुदान संख्या–83 :–

वर्ष 2014–15 में अनुदान सं0– 83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) सड़क एवं पुल मद के अन्तर्गत नये कार्यो हेतु कुल ₹ 160.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है। जिसके सापेक्ष ₹ 138.23 करोड़ की स्वीकृति जारी हो चुकी है। उक्त धनराशि में से डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु चयनित किये जाने 2100 समग्र ग्रामों एवं अन्य ग्रामों की असंतृप्त लगभग कुल 180 बसावटों (अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य) को जोड़ने हेतु लगभग 300 किमी0 लम्बाई में मार्ग निर्माण कर जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रश्नगत योजनान्तर्गत नये कार्यो हेतु ₹ 20.00 करोड़ की धनराशि से चयनित ग्रामों एवं अन्य ग्रामों (अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी से आच्छादित) के पूर्व निर्मित/ध्वस्त सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं का पुर्ननिर्माण कार्य 110 कि0मी0 लम्बाई में किया जाना प्रस्तावित है तथा अनुपूरक बजट से 01.04.2014 के पूर्व से स्वीकृत चालू कार्यों पर समग्र एस0सी0पी0 में ₹ 28.00 करोड़, एस0सी0पी0 नॉन समग्र में ₹ 50.00 करोड़ एवं पुनर्निर्माण के चालू कार्यों पर 41 करोड़ प्राप्त हुआ है। जिसके सापेक्ष मशः ₹ 12.17 करोड़, ₹ 49.74 करोड़ एवं ₹ 4.89 करोड़ की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त बुन्देलखण्ड विकास निधि एवं पूर्वान्चल विकास निधि हेतु मशः ₹ 30.00 करोड़ एवं ₹ 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

वर्ष 2015–16 हेतु प्रदेश स्तर पर अनजुड़े ग्रामों/बसावटों में से ऐसी बसावटें जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक है, को जोड़ने हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के नये कार्यो के निर्माण हेतु ₹ 30.00 करोड़, एस0सी0पी0 के चालू कार्यों हेतु ₹ एक हजार, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत एस0सी0पी0 के कार्यों हेतु ₹ 100.00 करोड़, डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत एस0सी0पी0 के चालू कार्यों हेतु ₹ एक हजार, एस0सी0पी0 के अन्तर्गत पूर्व से स्वीकृत एवं ध्वस्त मार्गो के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 20.00 करोड़ तथा एस0सी0पी0 के अनतर्गत पुनर्निर्माण के चालू कार्यो हेतु ₹ एक हजार की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है।

16. मार्गो का अनुरक्षण :–

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत वर्तमान में सड़को की कुल लम्बाई 203459 कि0मी0 है, जिसमें से 7550 कि0मी0 राष्ट्रीय मार्ग, 7486 कि0मी0 राज्य मार्ग, 7358 कि0मी0 प्रमुख जिला मार्ग, 41934 कि0मी0 अन्य जिला मार्ग व 139130 कि0मी0 ग्रामीण मार्ग सम्मिलित है। इन मार्गो में राष्ट्रीय मार्गो को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गो का रख रखाव लो0नि0वि0 के बजट से ही किया जाता है।

वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में अनुरक्षण के कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति तथा वर्ष 2015–16 अनुरक्षण कार्यो के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नानुसार हैः–

मार्गो के वार्षिक अनुरक्षण, नवीनीकरण तथा विशेष मरम्मत के कार्य

क्रम सं0	मद	वित्तीय वर्ष 2013–14		वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16	
		भौतिक प्रगति (कि.मी.में)	वित्तीय प्रगति ₹ करोड़ में	भौतिक लक्ष्य (कि.मी.में)	वित्तीय लक्ष्य ₹ करोड़ में	संभावित भौतिक लक्ष्य (कि.मी.में)	संभावित वित्तीय लक्ष्य ₹ करोड़ में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सामान्य अनुरक्षण	64319	330.00	50000	222.00	60000	600.00
2	नवीनीकरण	11588	1196.00	15000	1785.00	12500	1400.00
3	विशेष मरम्मत	3838	530.16	9500	1135.00	7500	1000.00
	योगः–	79745	2056.16	74500	3142.00	80000	3000.00

वर्ष 2015–16 में अंकित भौतिक व वित्तीय लक्ष्य सम्भावित है।

17. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी के 39,139 तथा 500 से 999 आबादी के 41,452 मजरे है। भारत सरकार द्वारा 1000 आबादी के पर के सभी ग्रामीण मजरों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से पर की आबादी के सभी मजरों को वर्ष 2007 तक पक्के मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित था, परन्तु सीमित संसाधनों को देखते हुये प्रथम चरण के लक्ष्य को पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। नव सम्पर्कता के साथ–साथ मार्गों के उच्चीकरण कार्य भी प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं। प्रदेश में इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग 42 जनपदों में कार्यदायी है।

वर्ष 2014–15 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 991 मार्ग, लम्बाई 3732 कि0मी0 को ₹ 1168 करोड़ की धनराशि में पूर्ण करते हुए 587 बसावटों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस वित्तीय वर्ष में अब तक ₹ 350 करोड़ ही प्राप्त हो सके हैं। प्राप्त धनराशि के अन्तर्गत माह 12/2014 तक 327 मार्ग, लम्बाई 1920 कि0मी0 को पूर्ण करते हुए 241 बसावटों को जोड़ा जा चुका है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज–3 से फेज–10 तक में स्वीकृतियों के सापेक्ष माह 12/2014 तक पूर्ण एवं निरस्तीकरण के पश्चात अवशेष नवसम्पर्कता/उच्चीकरण हेतु मार्गों की कुल संख्या 824, लम्बाई 2309 कि0मी0 एवं लागत ₹ 999 करोड़ है, जिससे नवसम्पर्कता के अधीन 451 बसावटें लाभान्वित होनी है। पी0एम0जी0एस0वाई0–2 के अन्तर्गत 23 जनपदों में 116 मार्ग, लम्बाई 937 कि0मी0 एवं लागत ₹ 602 करोड़ हेतु स्वीकृति उच्चीकरण मद में प्राप्त है। इस वित्तीय वर्ष में माह 03/2015 तक धनावंटन न हो पाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए माह 12/2014 के अवशेष को ही वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु संम्भावित अवशेष मानते हुए फेजवार विवरण तालिका पृष्ठ– 34 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015–16 में फेज–3 से फेज–10 के अवशेष 824 मार्ग, लम्बाई 2309 कि0मी0 एवं लागत ₹ 999 करोड़ के अन्तर्गत 451 बसावटों को जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पी0एम0जी0एस0वाई0–2 में स्वीकृत मार्गों के अन्तर्गत 93 मार्ग, लम्बाई 749 कि0मी0 एवं धनराशि ₹ 481 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में कुल 917 मार्ग, लम्बाई 3059 कि0मी0 एवं लागत ₹ 1480 करोड़ में 451 बसावटों को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पी0एम0जी0एस0वाई0–2 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत 42 जनपदों में से 23 जनपदों में ही कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। समस्त स्वीकृत कार्य निविदा प्रक्रिया में है अवशेष 19 जनपदों में 103 मार्ग, लम्बाई 848 कि0मी0 एवं लागत ₹ 527 करोड़ के प्रस्ताव का अनुमोदन भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी से हो चुका है, परन्तु विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

18. सेतु कार्य

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो0नि0वि0 द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं के अतिरिक्त सभी पहॅुच मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा निर्मित किये जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में सेतु/रेलवे उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ₹ 1641.7501 करोड़ तथा सेतुओं के अनुरक्षण हेतु ₹ 17.00 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 125 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष माह जनवरी–2015 तक 62 सेतुओं को पहॅुच मार्ग सहित पूर्ण किया गया है। पूर्ण सेतुओं में 33 दीर्घ सेतु, 16 लघु सेतु एवं 13 रेल उपरिगामी सेतु है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में सेतु/रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु अनुदान सं0–57 के अन्तर्गत ₹ 1380.5602 करोड़ तथा अनुदान सं0–83 (एस0सी0पी0 कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत ₹ 368.8992 करोड़, इस प्रकार कुल ₹ 1749.4594 करोड़ की बजट व्यवस्था तथा सेतुओं के अनुरक्षण हेतु ₹ 20.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 130 सेतुओं का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

भवन विंग संगठन एवं विवरण

1— भवन विंग संगठनः—

भवन निर्माण का कार्य जनपदों में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न खण्ड़ों द्वारा सम्पादित किया जाता है। मुख्यालय पर समीक्षा एवं समन्वय हेतु मुख्य अभियन्ता ''भवन'' तैनात है।

2— भवन कार्यों का विवरण

(अ) भवन निर्माणः—

भवन विंग द्वारा राज्य के चिकित्सा, शिक्षा, खेलकूद, पर्यटन, पुलिस, कृषि, उद्योग, तकनीकी शिक्षा, विश्व बैंक पोषित, न्याय, राजस्व आदि विभागों के विभिन्न प्रकार के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य तथा लोक निर्माण विभाग की स्वंय की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्यो का सम्पादन किया जाता है। इन निर्माण कार्यो का वित्तीय प्राविधान लो0नि0वि0 के अथवा सम्बन्धित विभाग के आय—व्ययक में होता है।

(ब) भवन अनुरक्षणः—

विभाग द्वारा लखन में राज्य सम्पत्ति विभाग के सभी भवनों का अनुरक्षण कार्य कराया जाता है। राजभवन, मा0 उच्च न्यायालय लखन , लोक सेवा आयोग लखन , के0डी0सिंह बाबू स्टेडियम, लोक निर्माण विभाग की स्वयं की सभी आवासीय कालोनियों के रख—रखाव का कार्य भी सम्पादित कराया जाता है। अन्य जनपदों में पूल्ड आवास तथा लो0नि0वि0 के अन्य सभी भवनों तथा सर्किट हाउस व निरीक्षण भवनों के रख—रखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में मा0 उच्च न्यायालय व लोक सेवा आयोग के भवनों का रख—रखाव भी विभाग द्वारा सम्पादित कराया जाता है।

लो0नि0वि0 के आवासीय एवं अनावासीय भवनों से सम्बन्धित कार्यो हेतु वर्ष 2014—15 में कुल बजट प्राविधान ₹ 130.4617 करोड़ था, जिसमें लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आयोजनागत कार्यो हेतु ₹ 40.00 करोड़ एवं आयोजनेत्तर कार्यो हेतु ₹ 90.4617 करोड़ के प्राविधान से भवनों के निर्माण एवं रख—रखाव आदि का कार्य कराया गया।

भवन कार्यो हेतु वर्ष 2015—16 के लिये कुल बजट ₹ 178.8881 करोड़ प्रस्तावित हैं, जिसमें आयोजनेत्तर कार्य हेतु ₹ 98.8881 करोड़ एवं आयोजनागत कार्यो हेतु ₹ 80.00 करोड़ का है। इस धनराशि से भवनों के अनुरक्षण तथा निर्माण कार्य कराये जाने है।

विश्व बैंक पोषित परियोजना

1. विश्व बैंक सहायता से प्रस्तावित उ0प्र0 कोर रोड नेटवर्क परियोजना :–

परियोजना की प्रारम्भिक रिपोर्ट सचिव, मार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को लो0नि0वि0 द्वारा 11 जून, 2013 में प्रेषित की गई थी जिसे 08.08.2013 में परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया था। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण 13 सितम्बर, 2013 में किया गया था। स्क्रीनिंग कमेटी ने इस बात पर सहमति दी कि 400 मिलियन यू0एस0 डॉलर की विश्व बैंक सहायता हेतु प्रस्ताव विश्व बैंक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रस्तुत कर दिया जाये:–

1- परियोजना में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के रोड मेनेजमेंट सिस्टम को बनाया जाये।
2- परियोजना में चिन्हित मार्गों के बाद में रखरखाव के लिये समुचित मैकेनिज़म स्थापित की जाये।
3- परियोजना के अन्तर्गत प्रक्योरमेंट हेतु ई–प्रक्योरमेंट लागू किया जाये एवं लोक निर्माण विभाग प्रक्योरमेंट्स में भी ई–प्रक्योरमेंट का वृहद प्रयोग किया जाये।
4- विभिन्न प्रान्तों में लागू विभिन्न क्रियान्वयन मॉडल्स का अध्ययन किया जाये एवं सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लेकर परियोजना के क्रियान्वयन के लिये एक समीचीन संगठनात्मक स्टक्चर पर निर्णय लिया जाये।
5- ई–प्रोजेक्ट/अनुबंध मैनेजमेंट टूल्स विकसित किये जाये एवं लोक निर्माण विभाग में इनका वृहद प्रयोग किया जाये।

विश्व बैंक की गाइड लाइन के अनुसार आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक के ऋण के निगोशियेशन तक परियोजना के अन्तर्गत आच्छादित हो सकने वाले सिविल कार्यो के 30 प्रतिशत लागत के कार्यो की स्वीकृत प्राप्त कर निविदायें आमंत्रित कर कार्य निर्माण संस्थाओं को ठेकदारों एवार्ड हो जाने चाहिये। तदानुसार उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या 1336/1/23–12–14 दिनांक 11.09.2014 एवं तत्सम्बन्धी संशोधनों द्वारा कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत कार्यो की कुल 393.00 कि0मी0 लम्बाई के निम्नलिखित मार्गो जिनकी अनुमानित लागत ₹ 1657.00 करोड़ है, चिन्हित किया गया है। इसमें मुख्यतः पूर्व में निर्मित मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा एक अद्द दीर्घ सेतु का निर्माण प्रस्तावित है।

1. हमीरपुर–राठ–गुरसरायगंज मार्ग एस0एच0–42
2. गोला–शाहजंहापुर मार्ग एस0एच0–93
3. उतरौला–फैजाबाद मार्ग एस0एच0–9
4. बलरामपुर–उतरौला मार्ग एस0एच0–26
5. गुरसरायगंज–झांसी एस0एच0–42
6. बदांयू–बिल्सी–बिजनौर मार्ग एस0एच0–51
7. शारदा नदी पर पचपेड़ीघाट पर सेतु

विश्व बैंक की गाइड लाइन्स के अनुसार परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार करने, सुपरवीजन इत्यादि कार्य हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु आगणन लागत ₹ 67.31 करोड़ की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1006/23–12–2014–699 वि0बै0/14 दिनांक 08.08.2014 द्वारा प्रदान की गयी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेन्ट के रूप में मै0 ऐजिस इण्डिया प्रा0 लि0 कार्यरत है। कंसल्टेन्ट द्वारा 30 प्रतिशत कार्यो की डी0पी0आर0 गठित किये जाने का कार्य दिसम्बर 2014 तक पूर्ण कर लिया गया है, जिसके लिये ₹ 5.00 करोड़ का अनुदान प्राप्त है। उपरोक्तानुसार चिन्हित कार्यो के अन्तर्गत ₹ 1000.00 करोड़ के कार्यो के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में निविदायें आमंत्रित कर मार्च 2015 तक निविदा निस्तारण एवं अनुबन्ध गठित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹ 100.00 करोड़ का बजट प्राविधान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्नानुसार आगणन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किये गये है :–

1	हमीरपुर राठ मार्ग^ राज्य मार्ग संख्या 42 चैनेज 2.065 कि0मी0 से चैनेज 77.700 कि0मी0 तक>	₹ 310.61 करोड़
2	गरौठा–चिरगॉव^ झॉसी>^ राज्य मार्ग संख्या 42 चैनेज 118.000 कि0मी0 से चैनेज 168.000 कि0मी0 तक>	₹ 219.24 करोड़
3	गोला–शाहजंहापुर मार्ग^ राज्य मार्ग संख्या 93 चैनेज 1.280 कि0मी0 से चैनेज 58.580 कि0मी0 तक – इस पैकेज में छः सेतुओं का निर्माण भी सम्मिलित है>	₹ 324.37 करोड़
4	बदांयू–बिल्सी–बिजनौर मार्ग^ राज्य मार्ग सं0–51 चैनेज 58.500 कि0मी0 से चैनेज 137.500 कि0मी0 तक >	₹ 350.23 करोड़

उपरोक्त कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्यो की स्वीकृति दि0 31.03.2015 तक निर्गत किया जाना लक्षित है। उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक के कार्यो की निविदायें आमत्रित की जा चुकी है जो 02.02.2015 तक प्राप्त कर ली जायेगी। निविदा प्राप्त होने पर तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा किया जायेगा। तदोपरान्त तकनीकी मूल्यांकन को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड को प्रस्तुत किया जायेगा। इस मूल्यांकन पर विश्व बैंक से अनापत्ति प्राप्त होने पर कार्य एवार्ड किये जा सकेगें। परियोजना के अन्तर्गत शेष 70 प्रतिशत कार्यो का चिन्हीकरण का अनुमोदन प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में कोर रोड नेटवर्क परियोजना के चालू निर्माण कार्यो हेतु ₹ 250.00 करोड़ ^एक मुश्त व्यवस्था> शेष 70 प्रतिशत चयनित नये कार्यो की स्वीकृति हेतु ₹ 100.00 करोड़^ एक मुश्त व्यवस्था> एवं सलाहकार संस्था के भुगतान हेतु ₹ 12.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

2. एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उ0प्र0 मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना :–

प्रदेश के 1138 कि0मी0 लम्बाई के प्रमुख जिला मार्गों के उच्चीकरण हेतु प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट लो0नि0वि0 द्वारा 29.08.2013 में सचिव, मार्ग परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई थी। मार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट को 14 अक्टूबर, 2013 में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को संस्तुति सहित प्रेषित किया गया था। 29 नवम्बर, 2013 की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया था, जिसमें 300.00 मिलियन यू0एस0डॉलर की ए0डी0बी0 के सहायता से परियोजना प्रारम्भ किये जाने की सहमति दी गयी है इस परियोजना में आच्छादित 30 प्रतिशत कार्यो का चिन्हिकरण शासनादेश संख्या 1041/23–12–14–1896/12 दिनांक 28.07.2014 द्वारा 350.00 कि0मी0 की लम्बाई जिनकी अनुमानित लागत ₹ 1174.00 करोड़ आंकलित है, निम्नानुसार किया गया है, जिसमें मुख्यतः पूर्व में निर्मित प्रमुख जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

1. हुसैनगंज–हठगांव–औरैया–अलीपुर^ एम0डी0आर0–81सी>
2. नान –दाद ^ एम0डी0आर0–82डब्ल्यू>
3. मुज्जफरनगर–बड़ौत मार्ग^ एम0डी0आर0–135 डब्ल्यू>
4. हलियापुर–कुड़ेभार मार्ग^ एम0डी0आर0–066ई>
5. कप्तानगंज–हाटा–गौरीबाजर–नौरंगिया मार्ग^ एम0डी0आर0–25ई/031ई>
6. बुलन्दशहर–अनूपशहर^ एम0डी0आर0–58>

उपरोक्तानुसार चिन्हित कार्यो की डी0पी0आर0 तैयार किये जाने के लिये कंसल्टेन्ट की नियुक्ति हेतु आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 837/23–12–2014–700वि0बै0/14 दिनांक 13.08.2014 द्वारा ₹ 3.26 करोड़ लागत की प्रदान की गयी है। डी0पी0आर0 तैयार किये जाने हेतु मे0 फीड बैक इन्फ्रा प्रा0 लिमिटेड, के पक्ष में अनुबन्ध संख्या 02/यू0पी0सी0आर0एन0डी0पी0/डी0पी0आर0सी0/2014–15 दिनांक 19.08.2014 गठित किया गया है।

कंसल्टेन्ट द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में 650 कि0मी0 लम्बाई के मार्गो की डी0पी0आर0 गठित कर प्रस्तुत किया जाना लक्षित है, जिसके लिये चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 4.00 करोड़ बजट का प्राविधान है।

विस्तृत आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये जाने व निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु ₹ 75.00 करोड़ का अनुदान प्रस्तावित है। ए0डी0बी0 की सहायता से प्रस्तावित सिविल कार्यो के सुपरवीजन हेतु सुपरवीजन कंसल्टेन्ट की नियुक्ति वर्ष 2014–15 में नियुक्त की जानी है जिसके लिये ₹ 20.00 करोड़ के आगणन पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

उपरोक्त छः मार्गो के सर्वे इत्यादि का कार्य कंसलटेन्ट द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। वर्तमान में क्रमांक 5 के अतिरिक्त समस्त कार्यो के आगणन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जा चुके है। कार्यो की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्राप्त होने तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर एशियन विकास बैंक से अनापत्ति प्राप्त होने पर कार्यो को एवार्ड किया जा सकेगा। इन कार्यो की स्वीकृत भी दि0 31.03. 2015 तक निर्गत किया जाना लक्षित है।

वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य जिला सड़क विकास परियोजना के चालू निर्माण कार्यो हेतु ₹ 200.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था), शेष 50 प्रतिशत चयनित नये कार्यो की स्वीकृति हेतु ₹ 100.00 करोड़ (एक मुश्त व्यवस्था) एवं सलाहकार संस्था के भुगतान हेतु ₹ 7.00 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 48 राष्ट्रीय मार्ग है। जिनकी कुल लम्बाई 7550 किमी0 है। इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 3588 किमी0 तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 3962 किमी0 है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014–15 के लिये उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष वित्तीय प्रगति निम्नवत है :–

क0 सं0	मद	प्राप्त आवंटन (करोड़ में)	31/12/2014 तक व्यय (करोड़ में)
1	**2**	**3**	**4**
1	आयोजनागत	312.17	162.91
2	आयोजनेत्तर	192.56	205.00
	योग	**504.73**	**367.91**

वर्ष 2014–15 की भौतिक प्रगति निम्नवत है :––

क0 सं0	आइटम	वित्तीय वर्ष 2014–15 का लक्ष्य (किमी0)	31.12.2014 तक उपलब्धि (किमी0)
1	**2**	**3**	**4**
1	एक लेन/इन्टरमीडिएट लेन से दो लेन चौड़ीकरण	**40.00**	**22.00**
2	दो लेन से चार लेन चौड़ीकरण	**0.00**	**0.00**
3	कमजोर दो लेन भागों का सुदृढ़ीकरण	**120.00**	**62.00**
4	सेतुओं का निर्माण् लघुत्र	**10** नं0	**7** नं0
5	राइडिंग क्वालिटी का सुधार	**350.00**	**266.00**
6	रिनुअल् मूल कार्यत्र	**8.00**	**8.00**
7	पी0आर0् नवीनीकरणत्र	**246.00**	**233.00**

राष्ट्रीय मार्गो पर परियोजनाओं का विवरण

- वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.12.2014 तक 233 कि0मी0 नवीनीकरण के अतिरिक्त 266 कि0मी0 लम्बाई में सतह सुधार, 22 कि0मी0 लम्बाई में 02 लेन चौड़ीकरण एवं 62 कि0मी0 लम्बाई में सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा चुका है।
- मूल कार्यो की वार्षिक योजना वर्ष 2014–15 के लिए भारत सरकार द्वारा कुल ₹ 1183.00 करोड़ अनुमोदित की गयी। जिसके सापेक्ष लागत ₹ 1430.00 करोड़ के आगणन मंत्रालय को प्रेषित किये गये एवं मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.12.2014 तक लागत ₹ 613.92 करोड़ की स्वीकृति निर्गत एवं अवशेष स्वीकृतियॉ अपेक्षित।
- नवीनीकरण/आई0आर0क्य0पी0 (नान–प्लान) कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार को ₹ 267.00 करोड़ की अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी एवं लागत ₹ 240.19 करोड़ के आगणन मंत्रालय को प्रेषित किये गये जिसके सापेक्ष मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.12.2014 तक लागत ₹ 84.52 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी।

वर्ष 2015–2016

- वर्ष 2015–16 हेतु नवीनीकरण/आई0आर0क्यू0पी0 कार्यों हेतु 622.30 कि0मी0 लम्बाई हेतु लागत ₹ 414.26 करोड़ की योजना मंत्रालय को प्रेषित की गयी।
- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उक्त मदों के अनुमोदन किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

अन्वेषणालय एवं गुणवत्ता नियंत्रण

अन्वेषणालय :–

अन्वेषणालय लोक निर्माण विभाग की स्थापना वर्ष 1947 में एक मिट्टी परीक्षण इकाई के रूप में हुई थी। वर्ष 1963 में यह निदेशालय के रूप में विकसित हुआ। वर्तमान में इस निदेशालय में निर्माण सामग्रियों के निर्माण पूर्व परीक्षण तथा मार्ग परिकल्पना के लिए मिट्टी की धारक क्षमता ज्ञात करने एवं डामरीकृत तथा सीमेन्ट कार्यों के लिए मिक्स डिजाइन की सुविधा तथा मार्गों के क्षतिग्रस्त हो जाने की दशा में अन्वेषण कर क्षति का कारण पता लगाकर समुचित उपाय सुझाने एवं बनाये गये नवीन मार्गों की सतह की गुणवत्ता के आंकलन हेतु 13 प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें एम0एम0–2, एस0एम0–3,एस0एम0–4 प्रयोगशालाओं में पुराने पद्धति के उपकरण होने के कारण प्रयोगशालाएं बन्द है। जिससे जाकृ का कार्य नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता स्तर पर केवल एक प्रयोगशाला ^ संरचना> एवं उपनिदेशक स्तर पर 09 प्रयोगशालाएं कार्यरत है। अन्वेषणालय में 01 पुस्तकालय है। वर्ष 2007 में स्टाफ आफीसर, 39वाकृवृई, लो0नि0वि0, लखन के विघटन के फलस्वरूप नवीन क्वालिटी मैनेजमेन्ट सेल का गठन किया गया है।

अन्वेषणालय संगठन का मुख्य कार्य सभी निर्माण विभागों, निर्माण सामग्री परीक्षण तथा मार्गों की क्षति के निवारण हेतु उपायों को प्रदर्इा करना एवं बने हुए निर्माण कार्यों की गुणवर्इा का आंकलन कर सन्दर्भ कर्ता को परिणामों का सम्प्रेषण का कार्य है। एवं मार्गो पर नवीनतम तकनीक से शोध कार्य कर विभाग में नये मानक को लागू कराना ।

संगठन का उद्देश्यः–

1. निर्माण कार्यों के आगणन की तकनीकी रूप से संपुष्टि के उद्देश्य हेतु मूलभूत तकनीकी डाटा ^ सी0बी0आर0 तथा नींव अनुसंधान परीक्षण> को उपलब्ध कराना है।
2. प्रयोगशालाओं के माध्यम से निर्माण पूर्व सभी निर्माण सामग्रियों का मानकों के अनुसार उचित मूल्यांकन करके उचित सामग्रियों के उपयोग को निर्माण कार्यों में समाहित कराना।
3. विभाग में तकनीकी ज्ञान के उन्नयन हेतु नवीनतम तकनीकी विधियों को तकनीकी साहित्य तकनीकी गोष्ठियों एवं प्रशिक्षण कार्यों के माध्यम से संवर्धित करना।
4. निर्माण कार्यों के समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाने तथा पुराने निर्माण कार्यों को सुदृढ़ करके उनकी आयु बढ़ाने में तकनीकी परामर्श देना।
5. लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य निर्माण विभागों की निर्माण सामग्री का परीक्षण कर परिणाम उपलब्ध कराना।
6. मार्गो पर नवीनतम तकनीक से शोध कार्य कर विभाग में नये मानक को लागू कराना ।

वर्ष 2014–15 में दिनांक 31.01.2015 तक सम्पन्न कार्य कलापों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

1. अन्वेषणालय में कोडिंग सेक्शन से प्राप्त होने वाली एवं सीधे प्रयोगशालाओं में प्राप्त नमूनों को संकलित करते हुए कुल 917 नमूनों का परीक्षण दिनांक 31/01/15 तक किया गया है।
2. शासन एवं विभाग द्वारा सन्दर्भित महत्वपूर्ण जाकृ कार्य सम्पादित कराये गये।
3. क्वालिटी मैनेजमेन्ट सेल के अन्तर्गत सभी पुराने जनपदों में जनपदीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं।

नवगठित पाकृ जनपदों में जनपदीय प्रयोगशालाओं को स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। 10 क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के लिए स्थल चयन एवं स्थापना की कार्यवाही की जा रही है। भविष्य के लिए तकनीकी आवश्यकताओं को आंकलित करना तकनीकी योजनाओं एवं नीतियों के सृजन में योगदान देना है।

प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण/उच्चीकरण कर समस्त 13 प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकरण उच्चीकरण हेतु मशीन ^ संयत्रों का य पुस्तकालय का उच्चीकरण एवं समस्त कोडो की आपूर्ति एवं मार्गो के शोध प्रस्तावों हेतु कुल ृ 8.25 करोड़ का वर्ष 2015–16 हेतु बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

क्वालिटी प्रमोशन सेलः–

क्वालिटी प्रमोशन सेल संगठन में मुख्यालय पर स्थापित केन्द्रीय प्रयोगशालाएं– रसायन, बिटुमिन एवं टेस्टिंग, भौतिक तथा जियोटेक्निकल एण्ड स्वॉयल प्रयोगशाला है। परीक्षण की गोपनीयता बनाये रखने हेतु क्वालिटी प्रमोशन सेल के कोडिंग सेक्शन में डिजाइन तथा मिट्टी के नमूनों तथा ऐसे नमूनें जिनका सीधे परीक्षण किये जाने का निर्देश प्राप्त होता है, को छोड़कर अन्य निर्माण सामग्री प्राप्त की जाती है। क्वालिटी प्रमोशन सेल के अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पश्चिमी क्षेत्र मेरठ सुचारू रूप से परीक्षण कार्य कर रही है।

इसके अतिरिक्त मिट्टी के शीघ्र सी0बी0आर0 परीक्षण हेतु 09 जनपदों में मिट्टी सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं भी कार्यरत है। जनपदों पर स्थापित जनपदीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त मासिक आख्याओं का संकलन कर शासन को आख्या प्रेषित की जाती है।

रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल में दिनांक 31.12.2014 तक क्षेत्रीय प्रयोगशाला मेरठ में कुल 690 विभागीय तथा गैर विभागीय निर्माण सामग्री नमूनों का परीक्षण किया गया। क्वालिटी प्रमोशन सेल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में स्थापित मिट्टी सर्वेक्षण प्रयोगशालाओं में 416 मिट्टी के नमूनों के सी0बी0आर तथा बैंकलमेन बीम इत्यादि परीक्षण किये गये। क्वालिटी प्रमोशन सेल की केन्द्रीय प्रयोगशालाओं में लखन में कोडिंग सेक्शन के 1286 नमूनों को सम्मिलित करते हुए कुल 1434 नमूनों का परीक्षण किया गया।

इस प्रकार से रिसर्च डेवलपमेन्ट एवं क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं में कुल 2540 नमूनों का परीक्षण किया गया। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 नमूनें परीक्षित करने का लक्ष्य है।

जनपदों में स्थापित जनपदीय प्रयोगशालाओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर माह दिसम्बर 2014 तक 2616 नमूनों की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया।

नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं में से प्रशिक्षण से छूटे 40 सहायक अभियन्ताओं का आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन एकादमी, उ0प्र0 के माध्यम से सम्पन्न कराया गया। अवशेष सहायक अभियन्ताओं के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण/उच्चीकरणः– लोक निर्माण विभाग में क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण/उच्चीरण हेतु मशीन/नवीन यन्त्र संयन्त्रों के य तथा स्थापना कार्य हेतु धनराशि की नितान्त आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2014–2015 में आई0आर0सी0–37^ 2012ञ के अनुसार नवीन यन्त्रों के क्रय हेतु ृ 1.50 करोड़ एवं निर्माण कार्य हेतु ृ 1.50 करोड़ कुल ृ 3.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित थी। जिसके सापेक्ष आवश्यक कार्यवाही प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं के निर्माण की अवशेष धनराशि ृ 1.35 करोड़ तथा नवीन यन्त्रों के क्रय हेतु ृ 3.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

ई–गवर्नेन्स

लोक निर्माण विभाग लम्बे समय से मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहा है। विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय वेब साईट विकसित की गयी है। जनपदों में स्थित खण्डों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत निर्गत स्वीकृतियों एवं आवंटित धनराशि को सर्वसुलभ करने हेतु सूचनायें ऑनलाईन उपलब्ध है।

लोक निर्माण विभाग के विकास एवं प्राथमिकता कार्यक्रमों की गहन समीक्षा से सम्बन्धित सूचनाओं को मुख्यालय स्तर पर निर्धारित प्रारूप पर क्षेत्रों से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त करने हेतु मुख्यालय पर स्थित अधिकांश कार्यालयों को इन्टरनेट के माध्यम से जोड़ दिया गया है तथा विभागीय वेबसाइट को शासन के निर्देशानुसार जनोपयोगी बनाने हेतु पुनः रि–डिजाइन, विकास एवं अनुरक्षण किया जाना प्रस्तावित है। विभाग द्वारा कम्प्यूटराइजेशन प्रक्रिया के अन्तर्गत यू0पी0 डेस्को के माध्यम से 04^ व्यवस्थापन मॉड्यूल, कम्प्लेन्टस एवं गीवन्स मॉड्यूल, बजट मॉड्यूल तथा वर्क मॉनिटिरिंग मॉड्यूल> वेबबेस्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स विकसित कराये जा रहें है।

वर्तमान में कम्प्यूटरीकरण हेतु कम्प्यूटर सम्बन्धित हार्डवेयर खण्डीय कार्यालयों में स्थापित कर दिये गये हैं। यह कम्प्यूटर एकल रूप से कार्य कर रहे हैं जिनके द्वारा भविष्य में सूचनाओं के ऑनलाईन संकलन व विश्लेषित किया जाना भी प्रस्तावित है। विभाग में लगभग 2500 अधिकारी/कर्मचारी धीरे–धीरे कम्प्यूटर फ्रेन्डली हो गये हैं तथा दैनिक कार्य में कम्प्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं।

ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से एक करोड़ से अधिक लागत की निविदायें चयनित क्षेत्रों में प्राप्त किये जाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

वर्ष 2015–16 में अयोजनागत मद में सूचना प्रोद्यौगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन हेतु ₹ 1.00 करोड़ की धनराशि का बजट प्राविधान प्रस्तावित किया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षणों से अधिकारियों/कर्मचारियों को बेहतर प्रबन्धन, वित्तीय नियम एवं विभागीय कार्य प्रणाली तथा कम्प्यूटर तकनीक का ज्ञान हो सकेगा, जिससे वे कुशलतापूर्वक उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ कार्यो का सम्पादन कर सकेंगे। अध्ययन तकनीकी ज्ञान, विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार हेतु, मुख्य रूप से निम्न संस्थानों द्वारा सम्पादित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं उच्च स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है :–

1. राष्ट्रीय राजमार्ग अभियन्ता प्रशिक्षण संस्थान, नोएडा।
2. केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, दिल्ली।
3. नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, लखन ।
4. राज्य नियोजन प्रशिक्षण संस्थान, कालाकांकर भवन, लखन ।
5. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली।
6. नेशनल काउन्सिल फॉर सीमेण्ट एण्ड बिल्डिंग मैटीरियल, हैदराबाद।
7. उत्तर प्रदेश प्रशासन एंव प्रबन्धन अकादमी, अलीगंज, लखन ।
8. इंजीनियरिंग स्टाफ कालेज, हैदराबाद।

रोड सेफ्टी ऑस्पेक्ट्स एण्ड ऑडिट विषय पर सेन्ट्रल रोड रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा दिनांक 27 एवं 28 जनवरी 2015 को दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय स्थिति विश्वेश्रैया प्रेक्षागृह में सम्पन्न कराया गया, जिसमें अधिकतर क्षेत्रों के कार्यकारी खण्ड एवं मुख्यालय स्थिति खण्डों के अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं ने भाग लिया।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि0 की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी। सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश में ही सीमित न रखकर नेपाल, यमन, ईराक आदि तक बढ़ाये हैं ।

1— वर्ष 2013—14, 2014—15 एवं 2015—16 में निम्न कार्य किये गये/ प्रस्तावित है :—

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र सं	विवरण	वर्ष 2013—14			वर्ष 2014—2015			वर्ष 2015—2016		
		निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	कुल कार्य	निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	कुल कार्य	निक्षेप कार्य	निविदा कार्य	कुल कार्य
1	लक्षित कार्यभार	**1100.00**	**0.00**	**1100.00**	**1150.00**	**0.00**	**1150.00**	**1150.00**		**1150.00**
2	प्राप्त कार्यभार	**1070.00**	**0.00**	**1070.00**	**1060.00**	**0.00**	**1060.00**			
3	पूर्ण किये जाने वाले लक्षित कार्यो की संख्या	**100**		**100**	**125**		**125**	**76**		**76**
4	पूर्ण कार्यो की संख्या (01/2015 तक)	**90**		**90**	**53**		**53**			

2— सेतु निगम द्वारा वर्ष 2013—14 में निक्षेप कार्यो के 100 सेतुओं को पूर्ण करते हुये कुल ₹ 1100.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 90 सेतुओं को पूर्ण करते हुये ₹ 1070.00 करोड़ का व्यय किया गया है। वर्ष 2014—15 में वर्तमान में निर्माणाधीन 289 कार्यों में से 125 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हुए निक्षेप कार्यों पर ₹ 1150.00 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माह जनवरी 2015 तक 53 सेतुओं का कार्य पूर्ण करते हुए ₹ 1060.00 करोड़ का व्यय किया गया है। इस समय निगम के पास निविदा कार्य नहीं है।

(धनराशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	वर्ष 2014—15 निर्धारित लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्यय
1	विश्व बैंक (लो0नि0वि0)	**1**	**1**	**1.78**
2	नाबार्ड — 15	**3**		**2.70**
3	नाबार्ड — 16	**1**		**1.74**
4	नाबार्ड — 17	**10**	**1**	**14.40**
5	नाबार्ड — 19	**11**	**2**	**26.23**
6	आयोजनागत्र राज्य सेक्टर)	**53**	**24**	**138.93**
7	राज्य सेक्टर अनुदान—58	**5**	**4**	**13.05**
8	रेलवे सुरक्षा निधि	**35**	**13**	**198.74**
9	त्वरित आर्थिक विकास योजना	**6**	**3**	**16.15**
	योग निक्षेप कार्य	**125**	**48**	**413.72**

3— वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2014—15 में 289 कार्य प्रगति पर है। सेतु निगम द्वारा वर्ष 2014—15 में 53 सेतुओं (48 निक्षेप कार्य एवं 5 अन्य निक्षेप योजना के कार्य) को पूर्ण कर माह जनवरी, 2015 तक लगभग ₹ 1060.00 करोड़ व्यय किया गया है।

^ धनराशि करोड़ में>

क्र0सं0	योजना का नाम	वर्ष 2014–2015 में उपलब्धि	
		कार्यो की संख्या	कार्यो पर व्ययभार
1	आयोजनागत^ राज्य सेक्टर>	**117**	**322.06**
2	रेलवे सुरक्षा निधि	**81**	**409.22**
3	नाबार्ड – 15	**6**	**9.35**
4	नाबार्ड – 16	**1**	**1.74**
5	नाबार्ड – 17	**17**	**34.33**
6	नाबार्ड – 19	**27**	**65.20**
7	त्वरित आर्थिक विकास योजना	**12**	**78.19**
8	राज्य सेक्टर^ अनुदान 58>	**6**	**37.54**
9	विश्व बैंक^ लो0नि0वि0>	**1**	**1.78**
10	व्यापार विकास निधि	**3**	**26.35**
11	पूर्वान्चल विकास निधि	**1**	**0.21**
12	अन्य निक्षेप	**17**	**73.79**
	योग निक्षेप कार्य	**289**	**1059.76**

यथा `1060.00 करोड़

4– **<u>विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत निम्न कार्य प्रगति पर हैं</u> :–**

4.1– वर्तमान में कुल 87 रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण जिनकी कुल लागत ₹ 3192.27 करोड़ है, निर्माणाधीन है। इनमें से 73 रेल उपरिगामी सेतु^ लागत ₹ 2395.53 करोड़> सहभागिता के आधार पर, 8 रेल उपरिगामी सेतु^ लागत ₹ 346.62 करोड़> जिन पर रेलवे द्वारा सहभागिता नहीं की गयी है तथा 06 रेल उपरिगामी सेतु लागत ₹ 450.11 करोड़ टर्म डिपाजिट के आधार पर निर्मित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल 26 रेलवे उपरिगामी सेतुओं को पूर्ण किया गया है, जिसमें 03 रेल उपरिगामी सेतु अन्य निक्षेप के हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल 35 रेल उपरिगामी सेतु पूर्ण करने का लक्ष्य है।

4.2– नाबार्ड–14 के अन्तर्गत कुल 33 कार्यों की स्वीकृति लागत ₹ 93.58 करोड़ के लिए प्राप्त हुई थी। इन सभी कार्यों को विगत वर्षो तक पूर्ण कर लिया गया है।

4.3– नाबार्ड–15 के अन्तर्गत कुल 25 सेतु लागत ₹ 154.55 करोड़ स्वीकृत किये गये थे जिनमें से 24 कार्य लागत ₹ 152.51 करोड़ के निगम द्वारा निर्मित किये जाने थे। इनमें से 18 कार्य विगत वर्षो तक पूर्ण कर लिये गये हैं, शेष 06 कार्य प्रगति में है। इसमें से 03 कार्यो को वर्ष 2014–15 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

4.4– नाबार्ड–16 के अन्तर्गत कुल 58 कार्य ₹ 146.65 करोड़ के स्वीकृत हुए थे जिनमें से 27 कार्य लागत ₹ 105.26 करोड़ के निगम द्वारा निर्मित किये जाने थे। इनमें 26 कार्य विगत वर्षों में पूर्ण कर लिये गये तथा शेष 01 कार्य वर्ष 2014–15 में पूर्ण किये जाने हेतु लक्षित है।

4.5– नाबार्ड–17 में के अन्तर्गत कुल 46 कार्य ₹ 510.43 करोड़ की स्वीकृति निर्गत हुई थी जिनमें से निगम द्वारा 38 कार्य लागत ₹ 501.75 करोड़ के निर्मित किये जाने थे। इनमें से 21 कार्य विगत वर्षों में पूर्ण कर लिये गये है शेष 17 कार्यों में से वर्ष 2014–15 में 10 सेतुओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। माह जनवरी 2015 तक 01 सेतु पूर्ण कर लिया गया है।

4.6– नाबार्ड–19 योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में कुल 27 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनकी कुल लागत ₹ 373.53 करोड़ है। सभी कार्य चरणबद्ध रूप से प्रारम्भ कर दिये गये है अथवा आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2014–15 में 11 कार्यो को पूर्ण करने का लक्ष्य है। माह जनवरी 2015 तक 02 सेतु पूर्ण कर लिए गये हैं।

4.7– त्वरित आर्थिक विकास योजना के अर्न्तगत वर्ष 2013–14 में 14 कार्य प्रगति मे थे जिसकी स्वीकृति ₹ 296.92 करोड़ की है। वर्ष 2013–14 में 1 सेतु पूर्ण कर लिया गया हैं। 06 सेतुओं को वर्ष 2014–15 में पूर्ण करने का लक्ष्य है। माह जनवरी 2015 तक 03 सेतु पूर्ण कर लिए गये हैं।

4.8– विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत 01 कार्य प्रगति में था जिसको माह जनवरी 2015 तक पूर्ण कर लिया गया है।

4.9– अन्य निक्षेप के अर्न्तगत 15 कार्य वर्ष 2013–14 में प्रगति मे थे जिनकी कुल लागत ₹ 307.89 करोड़ थी तथा इनमें से 06 कार्यों को वर्ष 2013–14 में पूर्ण किया गया है। नई स्वीकृतियों को सम्मिलित करने हेतु वर्तमान में अन्य निक्षेप योजना के 17 कार्य प्रगति में है। वर्ष 2014–15 में 05 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

4.10– राज्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में 138 सेतु प्रगति में थे, जिसकी लागत ₹ 2707.71 करोड़ थी। जिसमें से वित्तीय वर्ष 2013–14 में 43 सेतुओं को पूर्ण कर लिया गया है। वर्ष 2014–15 में वर्तमान में 117 कार्य निर्माणाधीन है जिसमें से 53 सेतु पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। माह जनवरी 2015 तक 24 सेतु पूर्ण कर लिये गये है।

5– **<u>लाभ/ हानि की स्थिति –</u>**

वित्तीय वर्ष 2013–14 के असम्परीक्षित लेखों के अनुसार माह 31/03/2014 तक संचित लाभ ₹ 140 करोड़ है ।

<u>सेतु निगम की आख्या</u>

- उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड की स्थापना कम्पनी अधिनियम –1956 के प्राविधानों के अनुसार दिनांक 01.03.1973 को हुई थी तथा स्थापना से अब तक सेतु निगम उत्तर प्रदेश, देश एवं विदेश में लगभग 2100 सेतुओं का निर्माण पूर्ण कर चुका है।
- वर्तमान में निगम में 289 सेतु स्वीकृत है जिनकी कुल लागत ₹ 6999.93 करोड़ है। इन कार्यों पर वर्ष 2014–15 में माह जनवरी/2015 तक ₹ 1060.00 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में 53 सेतुओं का निर्माण पूर्ण किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में जनवरी, 2015 तक कुल 34 कार्य, लागत ₹ 781.04 करोड़ के स्वीकृत हुये है, जिसमें से राज्य योजना के 20, रेलवे सुरक्षा निधि के 05, पूर्वान्चल विकास निधि का 01 एवं अन्य निक्षेप योजना के 8 कार्य सम्मिलित हैं। इन सभी कार्यों को चरणबद्ध रूप से आरम्भ कर दिया गया है अथवा शीघ्र आरम्भ कर दिया जायेगा।
- वर्ष 2014–15 में लक्षित सेतुओं में से 53 सेतु माह जनवरी 2015 तक पूर्ण कर लिये गये है। इसमें से 40 नदी सेतु एवं 13 रेल उपरिगामी सेतु है। नदी सेतुओं में 05 नदी सेतु अन्य निक्षेप योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये गये है।
- वर्ष 2013–14 तक निगम लगभग ₹ 140.00 करोड़ के संचित लाभ में है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, लखनऊ

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 को, उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया था। निर्माण निगम द्वारा अपने स्थापना के 39 वर्षों में प्रदेश में उत्कृष्टता के नये आयाम स्थापित करने के साथ–साथ पूरे देश में भवन निर्माण के क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त किया जा चुका है। उस समय इस निगम को प्रदत्त अंशपूँजी, मात्र ₹ 5.00 लाख थी जिसे वर्ष 1977 तक बढ़ाकर ₹ 100.00 लाख कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंश पूँजी वर्तमान में ₹ 500.00 लाख है।

1. निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्यः–

निगम की स्थापना का मुख्य उद्देय निर्माण में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित मजदूरी एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना है। निर्माण निगम मुख्य रूप से विभागीय पद्धति पर कार्य कराता है। जिससे निर्माण की उच्च गुणवत्ता तो सुनिश्चित होती ही है साथ ही साथ मजदूरों का शोषण भी रूकता है। प्रदेश एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का अधुनिकीकरण, बैराज, डैम्स, एक्वाडक्ट, पुल, कल्वर्टस, रोपवेज का निर्माण, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्स्टालेशन, औद्यौगिक परियोजनायें (तापीय विद्युत गृहों, कताई मिल, चीनी मिल, प्रासेस फैक्टरी आदि) का कार्य तथा नगरों एवं गॉवों के विकास कार्यों के अर्न्तगत माध्यमिक स्कूल, डिग्री कालेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय आदि के निर्माण में सहभागिता निभाना है।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में **मितव्ययता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता** के साथ–साथ पारदर्शिता है।

2– निगम की कार्य प्रणालीः–

निगम द्वारा मुख्यतः समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे ईंट, लोहा, सीमेन्ट का क्रय, सीधे निर्माताओं से किया जाता है व अन्य निर्माण सामग्री भी प्रतिष्ठित उत्पादकों/अधिकृत वितरकों से क्रय की जाती है। निर्माण के कार्य छोटे–छोटे श्रमिकों (पी0आर0डब्लू0) के माध्यम से किये जाते है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त देश के लगभग समस्त राज्यों में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। निगम अपनी उच्च कोटि की गुणवत्ता के कारण आई0एस0ओ0 9001 : 2008 प्रमाणित संस्था है।

3– संगठनात्मक ढॉचाः–

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था हेतु, इसे 15 कार्यकारी अंचलों में विभाजित किया गया है, जिसके अन्तर्गत 103 कार्यकारी इकाईयॉ कार्यरत है। मुख्यालय पर तकनीकी एवं वित्तीय समन्वय हेतु वास्तुविदीय विंग, परिकल्पना विंग, वित्त एवं लेखा विंग, वाणिज्य विंग, संविदा विंग, कार्मिक विंग, यांत्रिक विंग एवं विद्युत विंग स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक विंग का संचालन महाप्रबन्धक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है।

4– विगत वर्षों की उपलब्धियॉ

विगत पॉच वर्षों में निर्माण निगम द्वारा किये गये कार्यों की वित्तीय उपलब्धि निम्न प्रकार रही :–

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ ₹ में)	उपलब्धि (करोड़ ₹ में)
2010–2011	4000.00	3560.00 (अंकेक्षित)
2011–2012	4000.00	3542.00 (अअंकेक्षित)
2012–2013	4000.00	2554.00 (अअंकेक्षित)
2013–2014	4000.00	3413.00 (अअंकेक्षित)
2014–2015	4150.00	2427.00 (दिसम्बर, 2014 तक)

5– वित्तीय वर्ष 2014–2015 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण –

वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्माण निगम द्वारा ₹ 4200.00 करोड़ के कार्य सम्पादन कर लक्ष्य रखा गया है। निर्माणाधीन कार्यों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, पुलिस, उच्च शिक्षा, खेल, न्याय, कारागार, प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा ई0एस0आई0 आदि के कार्य मुख्य हैं। चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में विभिन्न 39 विभागों के कुल 1101 कार्य प्रगति में है तथा अन्य प्रदेशों में कुल 551 कार्य प्रगति में हैः–

6– वित्तीय वर्ष 2015–2016 में कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरणः–

चालू वित्तीय वर्ष में दिसम्बर, 2014 तक ₹ 3236.00 करोड़ के कार्य अर्जित किये जा चुके है तथा लगभग ₹ 6115.00 करोड़ के कार्य अर्जन की संम्भावना है।

7– लागत में नियन्त्रण

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट व स्टील की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। अन्य सामग्री का क्रय विशिष्टियों के अनुसार इकाई स्तर पर सम्बन्धित अंचलीय महाप्रबन्धक के अनुश्रवण में किया जाता है। विशिष्टि आईटम जैसे लिफ्ट, ट्रान्सफार्मर आदि हेतु सीधे सम्बन्धित कम्पनी से आपूर्ति कराई जाती है।

8– गुणवत्ता नियन्त्रण

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से, कार्य स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय–समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये निगम आई0एस0ओ0 – 9001:2008 के अन्तर्गत प्रमाणित है। थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई0आई0टी0, एन0आई0टी0 अथवा अन्य प्रतिष्ठित अभियन्त्रण संस्थाओं को अनुबन्धित किया जाता है।

9– कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा/अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, मुख्यालय व्यवस्थापन हेतु अंचलीय कार्यालयों एवं इकाईयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कार्यो की प्रगति पोर्टल सिस्टम के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु, इकाई स्तर पर डाटा–इन्टीग्रेट करते हुए अंचल एवं मुख्यालय स्तर पर निर्धारित प्रपत्रों पर संकलित आख्या उपलब्ध कराने हेतु साफ्टवेयर के उच्चीकरण का कार्य किया जा रहा है।

उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश अधिनियम उ0प्र0 अधिनियम संख्या–19, सन् 2004 द्वारा किया गया था। इसका गठन राज्य राजमार्गो के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण को गतिशीलता देने उद्‌देश्य से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम–1988 के आधार पर किया गया था। प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य राजमार्गों का उच्चीकरण/अनुरक्षण पी0पी0पी0 या अन्य पद्धति से कराया जाना है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2015–16 में निम्न विवरण के अनुसार निजी विकासकर्ताओं के साथ किये गये अनुबन्धों पर कार्य किया जा रहा हैः–

क. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी0)	परियोजना (₹ करोड़ में)	कंसेशन अनुबन्ध की तिथि	विकासकर्ता का नाम
1	दिल्ली–सहारनपुर–यमुनोत्री मार्ग (एस.एच.–57)	206.089	1718.35	01-08-2011	मेसर्स एस.ई.डब्लू.– प्रसाद कंसोर्शियम इंफ्रास्टक्चर लि0 हैदराबाद
2	बरेली–अल्मोड़ा–बागेश्वर मार्ग (एस.एच.–37)	54.00	354.07	11-08-2011	मेसर्स पी.एन.सी. इंफ्राटेक लि0, आगरा
3	वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.–5ए)	115.00	1211.96	08-12-2011	मेसर्स एफ्को–चेतक–पटेल (जे.वी.) लखन
	कुल	**375.089**	**3284.38**		

निम्न राज्य राजमार्ग का सार्वजनिक–निजी–सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण कराने के निजी विकासकर्ता के चयन सम्बन्धी वित्तीय निविदा (आर0एफ0पी0) दिनांक 15.01.2015 को आमंत्रित की गयी, जो स्वीकृति की प्रक्रिया में हैः–

क. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत में (₹ करोड़ में)
1	मुजफ्फरनगर – सहारनपुर मार्ग (एस0एच0–59)।	52.70	752.88

निम्न 05 मार्गों की फीजिबिलिटी अध्ययन पूर्ण हो गया है। सार्वजनिक–निजी–सहभागिता के अन्तर्गत निविदा प्राप्त नहीं हुई है, जिसे अब नगद अनुबन्ध पर बनाये जाने की योजना हैः–

क. सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी0)	लागत में (₹ करोड़ में)
1	एटा–शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच0–85)।	51.42	344.61
2	अलीगढ़–मथुरा मार्ग (एस0एच0–80)।	39.46	384.81
3	अकबरपुर–जौनपुर–मिर्जापुर–दुद्‌धी मार्ग (एस0एच0–5)।	237.16	1687.00
4	ताड़ीघाट–बारा मार्ग (एस0एच0–99)।	39.20	175.86
5	बलरामपुर–गोण्डा–जरवल मार्ग (एस0एच0–1ए)	88.00	693.82
	कुल	**455.24**	**3286.10**

इसके अतिरिक्त प्रदेश के निम्न 14 मार्गों के उच्चीकरण/अनुरक्षण हेतु फीजिबिलिटी अध्ययन कराये जाने के लिए परामर्शी चयन की कार्यवाही की जा रही हैः–

क. सं.	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0 में)	विकास का स्तर	एस0एच0 डी0पी0 फेज
1	गढ़–मेरठ–बागपत–सोनीपत मार्ग (एस.एच.–14)	90.42	4–लेन	2
2	सीतापुर–लखीमपुर–पलिया–दुधवा मार्ग (एस.एच.–90 + एस.एच.–21)	120.00	4–लेन	3
3	विढ़मगंज–कोन–कोटा–चोपन मार्ग (अन्य जिला	60.00	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर	3

	मार्गऽ			
4	मुरादाबाद–धामपुर–बिजनौर‸ एस.एच.–49ऽ	**110.00**	4–लेन	4
5	बलिया–म –आजमगढ़‸ एस.एच.–34ऽ	**100.00**	4–लेन	4
6	देवरिया–गोरखपुर‸ एस.एच.–1ऽ	**45.00**	4–लेन	4
7	मोहनलालगंज–मौरावां–उन्नाव मार्ग‸ अन्य जिला मार्ग–52 सीऽ	**69.74**	4–लेन	5
8	बिजनौर–छजलैट–मार्ग‸ एस.एच.–76ऽ	**57.30**	4–लेन	5
9	पानीपत–खटिमा मार्ग‸ एस.एच.–12ऽ	**146.98**	4–लेन	5
10	पुखरायॉ–घाटमपुर–बिन्दकी मार्ग‸ एस.एच.–46ऽ	**83.66**	4–लेन	5
11	बिजनौर–गजरौला मार्ग‸ एस.एच.–51ऽ	**66.00**	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
12	इलाहाबाद–गोरखपुर से दोहरीघाट तक मार्ग‸ एस. एच.–7 एवं एस.एच.–66ऽ	**165.45**	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
13	देवरिया – बलिया वाया सलेमपुर मार्ग	**92.00**	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
14	शिकोहाबाद–भगावन–मैनपुरी मार्ग‸ एस.एच.–084ऽ	**61.80**	2–लेन विद पेव्ड शोल्डर	5
	कुल	**1268.35**		

निम्न 02 मार्गों के फीजिबिलिटी अध्ययन का कार्य प्रगति में हैः–

क.सं.	**परियोजना का नाम**	**लम्बाई (कि0मी0 में)**
1	मुरादाबाद–चन्दौसी–बदायूॅ मार्ग‸ एस.एच.–43ऽ	**164.17**
2	बहराइच–गोण्डा–फैजाबाद मार्ग‸ एस.एच.–30ऽ	**190.00**

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004–05 में प्रदेश के राज्य राजमार्गो के निजी सहयोग से विकास के लिए इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक–निजी–सहभागिता पद्धति के आधार पर बी0ओ0टी0 / पी0पी0पी0 पद्धति पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में उपशा को सहायक अनुदान के रूप में आयोजनागत मद में अनुपूरक सहित कुल `200.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपशा को सहायक अनुदान के रूप में `4024.63 करोड़ की बजट की मॉग की गयी है। सीमित संसाधनों के दृष्टिगत `200.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।